

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

पत्र क्रमांक F 02 (20) खा.वि./स्था.मु./2012/01396

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री निशान्त पंचौली, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) को राजस्थान असेनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इन्हें निलंबन काल में नियमानुसार देय वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलंबन काल में इनका मुख्यालय खाद्य विभाग, जयपुर में रहेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को भेजकर निवेदन है कि संलग्न आदेश श्री निशान्त पंचौली, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) को तामील कराकर इसकी प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. श्री निशान्त पंचौली, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) को पालनार्थ प्रेषित है।
7. शाखा प्रभारी, स्थापना शाखा (प्रवर्तन) / निरीक्षण शाखा / गोपनीय प्रतिवेदन शाखा।
8. निजी पत्रावली श्री निशान्त पंचौली, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.05 17:28:22 IST
Reason: Approved

